न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2024 (उदयपुर डिक्री)

लक्ष्मण पिता हकरा जी मीणा, निवासी पडुणा फला उपलाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता कता जी मीणा, निवासी पडुणा फला उपलाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज॰ काश्त॰ अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 03–12–2020 प्रकरण संख्या 12/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री कुणाल सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 07–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पडूणा में आराजी नंबर 2122 रकबा 0.1000 हैक्टर स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी ने मौखिक बंटवार कर रखा है एवं उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी के हिस्से आयी भूमि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित पड़ोस अनुसार है। प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि में बगैर ईजाजत मकान का निर्माण कराया है। भूमि शामलाती होने से मौके पर विवाद होता है तथा जबरन वादी की भूमि में घुसने की धमकी देता है तथा वादी के हिस्से की तरफ छज्जा/रोस निकाल दिया है, जिसे हटाने का अधिकारी है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार के किया जाकर पक्षकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर दिनांक 24–02–2020 को वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03–12–2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–03–2024 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 29–02–2024 को जबरन कब्जा कर लेने का कथन करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा विभाजन के बाद लगातार हस्तक्षेप करने के कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जनवरी 2023 में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 128 रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 18/2023 होकर दिनांक 24–04–2024 को निर्णय हो चुका है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा मई 2023 में उपस्थिति दी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे दिनांक 29–02–2024 को प्रथम बार जानकारी हुई, सरासर मिथ्या कथन है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मन[illegible] एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो दस्तावेज अपने [illegible] के समर्थन में प्रस्तुत किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

गये हैं, उसके अनुसार रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके प्रकरण संख्या 18/2023 होकर दिनांक 24–04–2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के आदेश दिये गये हैं। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट लक्ष्मण को दिनांक 25–05–2023 को सम्मन नोटिस जारी किये गये हैं एवं उनकी ओर अधिवक्ता श्री संजय सोनी ने अपनी उपस्थिति दी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें दिनांक 29–02–2024 को प्रथम बार जानकारी हुई, उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य कब्जे को लेकर काफी विवाद होता रहता है। अपीलान्ट जो कि अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी था, को प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो, उचित प्रकट नहीं होता है। उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा करीब 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण उन्होंने बताये हैं, वह न तो उचित प्रकट होते हैं न ही 3 वर्ष के विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, फर्द बंटवारे तथा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस पर स्वयं अपीलान्ट/वादी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–12–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

लक्ष्मण पिता हकराजी मीणा, निवासी पडुणा फला उपला खेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर *बनाम* **मोहनलाल पिता कताजी मीणा, निवासी पडुणा फला उपला खेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**15 / 2024**....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी.....गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**03**.....माह.....**12**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कुणाल सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री महेन्द्र मेनारिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–12–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested